न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–71 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		छोटू पुत्र ब्रदीप्रसाद जाति ब्रहमण निवासी गौरडी चाचा तहसील डेगाना। (प्रोपराईटर मैसर्स छोटू लाईट डेगाना)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामलाल जाट
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल गौड

निर्णय

दिनांक –13.08.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.03.2024 को अधिवक्ता श्री अनिल गौड ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 18.12.2022 को तहसीलदार डेगाना एवं श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथम की सूचना पर मैसर्स छोटू लाईट डेगाना पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री छोटू पुत्र बद्रीप्रसाद उपस्थित मिले जिन्होनें स्वयं को फर्म का मालिक बताया। मौके पर निरीक्षण के दौरान 3 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर मौके पर रखे पो गये। श्री छोटू द्वारा बताया कि उक्त गैस सिलेण्डर मेरे द्वारा गैस चूल्हा रिपेयर के लिए रखे हुए है। श्री छोटू से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण व उपयोग से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री छोटू द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

   1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	रिलायन्स	129174-T	खाली
2	एचपीसीएल	36984-T	खाली
3	आईओसीएल	305693-E	4.2 किग्रा
4	बिना नम्बर के (अमान्य)	-	खाली
5	बिना नम्बर के (अमान्य)	-	1.9 किग्रा
6	बिना नम्बर के (अमान्य)	-	खाली
7	बिना नम्बर के (अमान्य)	-	खाली

13/8/24

अपर कलक्टर नागौर

उपरोक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री साईनाथ एचपी गैस एजेन्सी, डेगाना के प्रतिनिधि श्री इस्लाम की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री छोटू का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रवर्तन अधिकारी ने सरासर गलत बना कर पेश किया है हस्तगत प्रकरण से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति है उसके विरूद्ध बिना आधार के ऐसा परिवाद बनाने से उसकी बेइज्जती हुई है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 18.12.2022 को तहसीलदार डेगाना एवं श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व 5 किलोग्राम के 4 बिना नम्बर के अमान्य सिलेण्डर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री छोटू पुत्र बद्रीप्रसाद से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या (1) में वर्णित 7 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 07 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर